कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय, अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ0ग0)

//शुद्धिपत्र//

क्रमांक- 171/दो-11-1/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 01/07/2023

सरगुजा कुटुम्ब न्यायालय स्थापना के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड-3 (आदेशिका लेखक) के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु जारी **विज्ञापन क्र0– 163/दो–11–1/2023**, दिनांक 27.06.2023 की कंडिका–03 आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते की उपकंडिका–(3) के नीचे **"राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी"** जोड़कर पढ़े जाने शुद्धि पत्र जारी किया जाता हैं–

3. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते :-

(1) कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) कोई पुरूष उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) उम्मीदवार दिनांक 01/01/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट होगी अर्थात अधिकतम आयु 40 वर्ष की छुट होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

"राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।"

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा छ.ग.